

आदेश

कार्यवाही विवरण

1/10/19

पत्रालय में आया है। वादी एवं वकीलवर्ग की शर्तों
 वादी एवं वकील वादी को बार-बार-रुह-रुह
 कर आवाज लगावई गई, के वाक्यरूप की उपस्थित
 न्यायालय नहीं होने से बाद वादी अदम धरती
 रम अदम पेशी में खारिज किया गया है।
 पत्रालय के बाल सुवार दोहर दर्ज नम्बर से
 कम हो गया बाद तहमील जाया वकील
 दफ्तर है। निर्णय आज खुले न्यायालय में
 हुआ गया।

(3)

1/10/19
M. L. Sharma

पत्र

निदेशिका संविधान 1950 के अंतर्गत
 भारत सरकार के अधीन
 भारत सरकार के अधीन